पत्रांक-एम-4-48/2012 8033/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांकः- 14-9-15

विषय :- विभागों के क्रय समिति में वित्त विभाग के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक-3890 दिनांक 05.06.2006

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभिन्न क्रय समितियों में वित्त विभाग के पदाधिकारियों के नामित किये जाने से वित्त विभागीय कार्यों के निष्पादन में समस्या अनुभव की जा रही है । उल्लेखनीय है कि सभी विभागों के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो विभागों के लिए गठित क्रय समितियों में भाग लेते हैं । आंतरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग के ही प्रतिनिधि होते हैं । अतएव अलग से क्रय समितियों में वित्त विभाग के अन्य पदाधिकारियों को नामित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अतः समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागीय क्रय समितियों में वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व विभागों के लिए अधिसूचित आंतरिक वित्तीय सलाहकार करेंगे ।

विश्वासभाजन,

Amital

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012 8033/वि०, पटना, दिनांक 14-9-15

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

Amital

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012 8033/वि०, पटना, दिनांक 14-9-15

प्रतिलिपिः-वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

Amital

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव